# अध्याय चौदह

## स्थानीय स्वायत्त शासन

सीतापुर का नागर क्षेत्र सीतापुर, खैराबाद, बिसवां और नीमसार एवं मिसरिख की नगरपालिकाओं तथा लहरपुर और महमूदाबाद के नगर-क्षेत्रों (टाउन एरिया) को मिलाकर बना है और जिला परिषद् (जिसे अब अन्तरिम जिला परिषद् कहा जाता है) के क्षेत्राधिकार का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र तक है।

## नगरपालिकायें

### सीतापुर

**प्रारम्भिक इतिहास**––सीतापुर नगरपालिका की स्थापना 14 जुलाई, 1868 को हुई थी। इसका गठन नगर की सफाई व्यवस्था में सुधार करने के प्रमुख उद्देश्य से हुआ था। यह न्यूनाधिक एक सरकारी निकाय था, जिसके सभापति आयुक्त तथा बाद में उपायुक्त होते थे और गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जाते थे। नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध म्यूनिसिपैल्टीज ऐक्ट, 1873 (1873 का ऐक्ट सं0 15) द्वारा चुनाव संबंधी सिद्धान्त लागू करने का प्रयास किया गया था, किन्तु व्यवहार में नाम निर्देशन संबंधी प्रणाली बराबर लागू रही। नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज ऐण्ड अवध म्यूनिसिपैल्टीज ऐक्ट, 1883 (1883 का ऐक्ट सं0 15) द्वारा कतिपय दूरगामी परिवर्तन किए गए जिनसे चुनाव-प्रणाली का काफी विस्तार हुआ। इस नगरपालिका की वर्ष 1895-96 की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इसमें उत्तरी और दक्षिणी दो वार्ड थे। इसमें बारह सदस्य थे जिनमें से नौ का चुनाव हुआ था और तीन मनोनीत थे। चुने गए सदस्यों में से छह दक्षिणी वार्ड का प्रतिनिधित्व करते थे और तीन उत्तरी वार्ड का। वर्ष 1916 नगरपालिकाओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि उसी वर्ष एक अधिनियम पारित हुआ जो व्यापक था और चूंकि उसमें एक गैर सरकारी सभापति और निर्वाचित अल्पसंख्यकों की व्यवस्था थी अतः स्वायत्त शासन की दिशा में यह एक बड़ा कदम था। किन्तु उसमें दो बड़े दोष थे, एक नामनिर्देशित सदस्यों का बराबर बना रहना और दूसरा साम्प्रदायिक निर्वाचक वर्ग का प्रवेश। यूनाइटेड प्राविन्सेज म्यूनिसिपैल्टीज ऐक्ट, 1916 (1916 का ऐक्ट सं0 2) के अनुसरण में, सीतापुर नगर को दो वार्डों में बांट दिया गया था जिसमें कुल मिलाकर पच्चीस सदस्य होते थे और सभी निर्वाचित थे, 1953 तक जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का था जब इसे बढ़ा कर चार वर्ष कर दिया गया जिसके उपरान्त 1957 में नये चुनाव हुये। नगरपालिका का सभापति सदस्यों द्वारा चुना जाता था। चुनी गई नगरपालिका 24 नवम्बर, 1960 तक कार्य करती रही, जब सरकार द्वारा इसका अधिक्रमण कर लिया गया और सीतापुर के जिला मजिस्ट्रेट को नगरपालिका के अधिकारों का प्रयोग करने और उसके कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार दे दिया गया।

सीतापुर नगरपालिका का क्षेत्र 6.6 वर्गमील है। इसका अधिकार क्षेत्र सरायन नदी के दोनों किनारों तक जहां पर यह नगर स्थित है, फैला हुआ है। 1932 तक लोहार बाग, विजय लक्ष्मी नगर, स्टेशन रोड कालोनी, सदर बाजार, रेजीमेन्टल बाजार (जिसे लाल कुर्ती बाजार कहा जाता है) के वर्तमान क्षेत्रों से और उन क्षेत्रों से जो ग्यारहवीं बटालियन, पी0 ए0 सी0 के अधिभोग में हैं, छावनी बोर्ड (कैन्टूनमेन्ट बोर्ड), सीतापुर का गठन हुआ था। जब छावनी बोर्ड समाप्त कर दिया गया तो इन क्षेत्रों का सिविल प्रशासन अधिसूचित क्षेत्र-समिति के हाथों में चला गया और इसका भी 29 दिसम्बर, 1949 को नगरपालिका, सीतापुर में विलय हो गया। वर्ष 1951 में नगरपालिका की कुल जन संख्या 44,397 थी।

नगर को ग्यारह वार्डों में बांटा गया है : आलमनगर, थाम्पसनगंज, तरौनपुर, चौबेटोला, शेख सराय, कोट, नई बस्ती, परेड, सिविल लाइन्स, विजय लक्ष्मी नगर और सदर बाजार। इनमें से पहले दो वार्डों में से प्रत्येक वार्ड से तीन सदस्य चुन कर आते हैं, दूसरे आठ वार्डों में से प्रत्येक वार्ड से दो सदस्य और अन्तिम वार्ड से तीन सदस्य चुन कर आते हैं। जिनमें अनुसूचित जाति का एक सदस्य सम्मिलित है। अध्यक्ष को नगरपालिका के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुना जाता है। सभी पच्चीस सदस्यों का चुनाव होता है।

**वित्तव्यवस्था**––सीतापुर एक विकासशील नगर है और नगरपालिका अपने सीमित संसाधनों से बढ़ती हुई जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती अथवा जनता को वे सभी सुविधायें नहीं दे सकती जिनकी एक नगर निकाय से आशा की जा सकती है। अतः उसे नगर के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकारी सहायता की अपेक्षा करनी पड़ती है। सरकार ने नगरपालिका को वर्ष 1950 से 1960 की अवधि के दौरान 10,83,000 रु0 का ऋण और 3,26,800 रु0 का अनुदान दिया था। 1 अप्रैल,